राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी
(SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांकः प.61(275)विविध / SSAAT/2023/6602

दिनांकः 19 दिसम्बर, 2023

सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धित प्रकरणों पर दिनांक 13.12.2023 व 14.12.2023 को जिला परिषदों में कार्यरत PO (Accounts) से गुगल मीट द्वारा आयोजित बैठक के मिनिट्स

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2023 व 14.12.2023 को गुगल मीट द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोसायटी की उप निदेशक एवं राज्य के समस्त जिलों के PO (Accounts) जो सामाजिक अंकेक्षण के प्रभारी अधिकारी हैं, द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक 13.12.2023 को 15 जिलों (अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर (चित्तोड़गढ अनुपस्थित)) के PO (Accounts) ने भाग लिया।

दिनांक 14.12.2023 को 17 जिलों (जालौर, झालावाड़, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर) के PO (Accounts) ने भाग लिया।

उक्त वीसी में जैसलमेर जिले के पाओ अकाउन्टस अनुपस्थित रहे तथा उनकी ओर से उपस्थित कार्मिक को प्रकरणों का ज्ञान न होने के कारण वीसी से हटा दिया गया।

साथ ही दिनांक 13.12.2023 को अनुपस्थित रहे जिला चित्तोड़गढ़ PO (Accounts) ने दिनांक 14.12.2023 को भाग लिया।

गुगल मीट द्वारा आयोजित बैठक में समस्त जिलों के PO (Accounts) से निम्न बिन्दुवार चर्चा की गई।

विचारणीय बिन्दु संख्या 1
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के चयन पर अपडेट स्थिति

समस्त जिलों में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन प्रक्रिया को माह दिसम्बर 2023 में पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिये गये।

चयन हेतु सोसायटी के नियमों के अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित कमेटी को ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन में पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अतः चयन सम्बन्धित नियमों के प्रावधान अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही इसी माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। **जिन जिलों में स्वीकृत संख्या से कम आवेदकों का चयन हुआ है अथवा चयन प्रक्रिया किसी कारणवश रद्द हो गयी है तो वहां शीघ्र नई विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करे।** समस्त जिलों को बीआरपी चयन संबंधी समस्त वस्तुस्थिति से निदेशक, SSAAT को लिखित में एक सप्ताह में अवगत कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जिन जिलों द्वारा बीआरपी चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उन्हें कमेटी के हस्ताक्षर सहित सूची तुरंत भिजवाने के निर्देश दिये गये ताकि चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को माह जनवरी 2024 में प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी
(SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक: प.61(275)विविध / SSAAT/2023/6602 दिनांक: 19 दिसम्बर, 2023

सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धित प्रकरणों पर दिनांक 13.12.2023 व 14.12.2023 को जिला परिषदों में कार्यरत PO (Accounts) से गुगल मीट द्वारा आयोजित बैठक के मिनिट्स

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2023 व 14.12.2023 को गुगल मीट द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोसायटी की उप निदेशक एवं राज्य के समस्त जिलों के PO (Accounts) जो सामाजिक अंकेक्षण के प्रभारी अधिकारी हैं, द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक 13.12.2023 को 15 जिलों (अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर (चित्तोड़गढ अनुपस्थित)) के PO (Accounts) ने भाग लिया।

दिनांक 14.12.2023 को 17 जिलों (जालौर, झालावाड़, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर) के PO (Accounts) ने भाग लिया।

उक्त वीसी में जैसलमेर जिले के पाओ अकाउन्टस अनुपस्थित रहे तथा उनकी ओर से उपस्थित कार्मिक को प्रकरणों का ज्ञान न होने के कारण वीसी से हटा दिया गया।

साथ ही दिनांक 13.12.2023 को अनुपस्थित रहे जिला चित्तोड़गढ़ PO (Accounts) ने दिनांक 14.12.2023 को भाग लिया।

गुगल मीट द्वारा आयोजित बैठक में समस्त जिलों के PO (Accounts) से निम्न बिन्दुवार चर्चा की गई।

विचारणीय बिन्दु संख्या 1
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के चयन पर अपडेट स्थिति

समस्त जिलों में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन प्रक्रिया को माह दिसम्बर 2023 में पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिये गये।

चयन हेतु सोसायटी के नियमों के अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित कमेटी को ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन में पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अतः चयन सम्बन्धित नियमों के प्रावधान अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही इसी माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। **जिन जिलों में स्वीकृत संख्या से कम आवेदकों का चयन हुआ है अथवा चयन प्रक्रिया किसी कारणवश रद्द हो गयी है तो वहां शीघ्र नई विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करे।** समस्त जिलों को बीआरपी चयन संबंधी समस्त वस्तुस्थिति से निदेशक, SSAAT को लिखित में एक सप्ताह में अवगत कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जिन जिलों द्वारा बीआरपी चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उन्हें कमेटी के हस्ताक्षर सहित सूची तुरंत भिजवाने के निर्देश दिये गये ताकि चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को माह जनवरी 2024 में प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

विचारणीय बिन्दु संख्या 2

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट अपलोड की स्थिति पर चर्चा

वर्ष 2022–23 में जिन जिलों की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट अभी तक नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड होना बकाया है उन ग्राम पंचायतों की सूचना शीघ्र भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये ताकि उन ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि का सामाजिक अंकेक्षण पुनः करवाये जाने का निर्णय लिया जा सके।

जिला अजमेर, भीलवाडा, झालावाड, झुन्झुनु प्रतापगढ़ एवं उदयपुर के अलावा शेष समस्त जिलो के PO Accounts को वर्ष 2023–24 में सितम्बर 2023 तक हुई सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट सात दिवस में नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उजागर की गई वित्तीय अनियमितताओं की राशि को नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड के संबंध में। (9.2.3)

जिला अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर, बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनु, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं श्रीगंगानगर के कार्यक्रम अधिकारियों को वर्ष 2022–23 के वित्तीय अनियमितता संबंधी रिपोर्ट को नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु सात दिवस का समय देते हुए निर्देश प्रदान किये गये।

वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में शीघ्र जांच कर जाँच रिपोर्ट मय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुशंषा के आगामी सात दिवसों में भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिन अधिकारियों द्वारा अभी तक जांच प्रारंभ नहीं की गई है उन्हें स्पष्टतः निर्देशित किया गया है कि वे आगामी सात दिवसों में सम्पूर्ण कार्यवाही कर अवगत करावें अन्यथा प्रकरण उच्च्य अधिकारियों के ध्यान में लाया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4

लंबित Action Taken Report पर कार्यवाही हेतु :–

सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट अपलोड होने के एक माह के अन्दर रिपोर्ट के लिये गये प्रकरणों पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2022–23 के कुल आक्षेप 470 के विरूद्ध आदिनांक तक 369 प्रकरणों पर ही कार्यवाही होकर प्रकरण बन्द हुए हैं। वर्ष 2022–23 की बकाया ATR अजमेर(1), अलवर(2), बांसवाड़ा(10), बाड़मेर(3), भीलवाड़ा(21), बीकानेर(2) चित्तोड़गढ(1), डूंगरपुर(3), जैसलमेर(39), झालावाड़(1), झुन्झुनु(9), जोधपुर(6), कोटा(6), नागौर(6), पाली(1), प्रतापगढ़(10), सवाईमाधोपुर(2), सीकर(3), श्रीगंगानगर(2) तथा टोंक(2) जिलों से है।

इस संबंध में वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 की 9.3.1 एवं 9.3.2 रिपोर्ट का सभी PO (Accounts) अध्ययन करें तथा संबंधित जिले के लंबित प्रकरणों का आगामी सात दिवसों में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

आगामी वीसी दिसम्बर 2023 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। अतः लंबित प्रकरणों पर ध्यान देकर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

विचारणीय बिन्दु संख्या 5
नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के भुगतान की स्थिति

समस्त जिलों सोसाइटी द्वारा नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन की राशि उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

विचारणीय बिन्दु संख्या 7
15वां वित्त आयोग की राशि सोसायटी को भिजवाने के संबंध में:—

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को ब्लॉक से 15वें वित्त आयोग का ऑडिट पेटे राशि एकत्रित कर सोसायटी को भिजवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये ताकि बीआरपी एवं वीआरपी का भुगतान किया जा सके।

गुगल मीट बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संदीप चौहान)
निदेशक

क्रमांकः प.61(275)विविध/SSAAT/2023/6603-09 दिनांकः 19, दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
4. वित्तीय सलाहकार, मनरेगा।
5. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT।
6. PO (Accounts)- नोडल अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण, जिला परिषद समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कंवर)
उप निदेशक